



Neutral Citation No. - 2026:AHC:32611

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5319/2026

आसिफ

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: सृजन पांडे

विपक्षी के लिए अधिवक्ता

: जी.ए.,

न्यायालय कक्ष संख्या -65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार पांडे ने अपना वकालतनामा दायर किया जिसे अभिलेख पर लिया गया।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सृजन पांडे का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता श्री सौरभ पांडे, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. और वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम नहीं है। एफ.आई.आर. में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके और उसके पति के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा था, इसी दौरान वह नामजद आरोपी कासिम से बात करती थी। 4 जून 2025 को उक्त नामजद आरोपी ने उसे फोन किया और वह उसके साथ एक चार पहिया

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वाहन में चली गई। रास्ते में उसने उसे शराब पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे तब उसे यकीन हो गया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। इस प्रकार, एफ.आई.आर. में पीड़िता ने आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता का आरोप है कि घटना वाले दिन जब वह नामजद आरोपी कासिम के साथ गई थी, तब वहां दो अन्य व्यक्ति भी थे, जबकि धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता कहती है कि आवेदक भी नामजद आरोपी कासिम के साथ चार पहिया वाहन में मौजूद था और जब उसे होश आया तो नामजद आरोपी कासिम, आवेदक और एक अन्य आरोपी अकरम भी वहां मौजूद थे। इस प्रकार, एफ.आई.आर. के विवरण के साथ-साथ धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पीड़िता ने धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को बिना कपड़ों के पाया, लेकिन उसने आवेदक के खिलाफ बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया है और एफ.आई.आर. के अनुसार मुख्य आरोप नामजद आरोपी कासिम के विरुद्ध है। पीड़िता लगभग 31 वर्ष की एक बालिग महिला है। एक सह-आरोपी अकरम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। पीड़िता की चिकित्सा जांच में उसके शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई। इस प्रकार, यह झूठा फंसाने का मामला है और आवेदक पर दुर्भावनापूर्ण इरादे और गुप्त आशय से वाद चलाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को सिद्ध करने के लिए कई अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी, न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और न्यायालय द्वारा उस पर लगाई जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद वह यह तर्क दिया गया कि आवेदक दिनांक 10.09.2025 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देकर विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण स्तर पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि एफ.आई.आर. के अनुसार मुख्य आरोप नामजद आरोपी कासिम के विरुद्ध है।

5. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त वाद पाता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

6. आवेदक आसिफ को मुकदमा अपराध संख्या 298/2025, अंतर्गत धारा 70(1) और 123 बी एन एस, पुलिस स्टेशन खेकरा, जिला बागपत, में व्यक्तिगत मुचलका भरने और दो स्थानीय जमानतदारों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि में प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक को विचारणीय न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं कारित करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”